



Neutral Citation No. - 2026:AHC:176183

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अन्तर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 50095 सन् 2025

सादाब एवं अन्य

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : आमिर खान

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए., सौरभ कुमार

न्यायालय संख्या - 83

माननीय न्यायमूर्ति चवन प्रकाश

- 1- आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री अमीर खान, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ कुमार तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
- 2- वर्तमान आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदकों द्वारा इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि वर्तमान आवेदन को स्वीकार किया जाए तथा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय, अलीगढ़ द्वारा पारित दिनांक 23.09.2024 की आक्षेपित आरोप-पत्र तथा दिनांक 17.12.2024 के आक्षेपित संज्ञान/समन आदेश को, साथ ही अपराध संख्या 154 वर्ष 2024 से उत्पन्न आपराधिक वाद संख्या 67 वर्ष 2025, धारा 85, 115(2), 352 बी.एन.एस. तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं धारा 3/4 मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019, थाना-चंडौस, जनपद-अलीगढ़ से संबंधित, जो विद्वान अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन)-3, अलीगढ़ के न्यायालय में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही को दिनांक 03.12.2025 के समझौते के आधार पर निरस्त किया जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3- आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदकों और विपक्षी संख्या 2 ने न्यायालय के बाहर आपसी सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवाद का निपटारा कर लिया है। आवेदकों ने पक्षकारों के मध्य हुए समझौते की शर्तों के आधार पर कार्यवाही को निरस्त किए जाने की प्रार्थना के साथ इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान आवेदन दाखिल किया। इस न्यायालय ने दिनांक 20.3.2026 के आदेश द्वारा पक्षकारों को पक्षकारों तथा समझौता आवेदन के सत्यापन हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 30.3.2026 के आदेश द्वारा पक्षकारों के साथ-साथ समझौता आवेदन का सत्यापन किया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदकों और विपक्षी संख्या 2 ने मामले में समझौता कर लिया है और विपक्षी संख्या 2 आवेदकों के विरुद्ध मामले को आगे नहीं चलाना चाहता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदकों और विपक्षी संख्या 2 ने समझौते के माध्यम से अपने विवाद का निस्तारण कर लिया है और इस प्रकार विपक्षी संख्या 2 उपर्युक्त मामले को आवेदकों के विरुद्ध आगे नहीं चलाना चाहता है। विपक्षी संख्या 2 आवेदकों के अभियोजन को वापस लेने के लिए तैयार है और समझौते के दृष्टिगत, यदि अभियोजन को आगे चलने की अनुमति दी जाती है तो कोई फलदायी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

4- विपक्षी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों की शुद्धता अथवा उनके द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की शुद्धता पर विवाद नहीं किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि उपर्युक्त मामले की कार्यवाही निरस्त कर दी जाती है तो विपक्षी संख्या 2 को कोई आपत्ति नहीं है।

5- विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दोनों पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर अपने विवाद का निस्तारण कर लिया है, अतः आगे कार्यवाही किए जाने का कोई कारण नहीं है।

6- माननीय शीर्ष न्यायालय ने नरिंद्रा सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य, (2014) 6 एस.सी.सी. 466, परबतभाई अहीर @ परबतभाई बनाम गुजरात राज्य, (2017) 9 एस.सी.सी. 641, जियान सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2012) 10 एस.सी.सी. 303 तथा मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण, (2019) 5 एस.सी.सी. 688 के मामलों में, स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि पक्षकारों के मध्य कुछ संज्ञेय एवं गैर-शमनीय अपराधों के संबंध में भी समझौता किया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा शैफुल्लाह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [2013 (83)



ए.सी.सी. 278] में दिए गए निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा उपर्युक्त मामलों में प्रतिपादित विधि की विस्तार से व्याख्या की गई है।

7- उपर्युक्त उल्लिखित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि उपर्युक्त उल्लिखित मामले की कार्यवाही को लंबा खींचने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

8- तदनुसार, दिनांक 23.09.2024 की आरोप-पत्र तथा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय, अलीगढ़ द्वारा पारित दिनांक 17.12.2024 के आक्षेपित संज्ञान/समन आदेश तथा अपराध संख्या 154 वर्ष 2024 से उत्पन्न आपराधिक वाद संख्या 67 वर्ष 2025, धारा 85, 115(2), 352 बी.एन.एस. तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं धारा 3/4 मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019, थाना-चंडौस, जनपद-अलीगढ़ से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही एतद्वारा निरस्त की जाती है।

9- धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत यह आवेदन तदनुसार स्वीकार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति चवन प्रकाश)

20 अगस्त, 2026

एम.डी. फैसल